O/o. E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. ....
Date ....10 JAN 2024
Addl.CE ....
SE ....
EE ....
Section ....
CSPTCL

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

सी.आई.एन.:– U40108CT2003SGC015820

O/o ED (HR), CSPTCL, Raipur

क्रमांक :– 01–01/अ.प्र./27/2023/157 रायपुर, दिनांक 9 JAN 2024

(अपील प्रकरण क्रमांक 27/2023)

श्री कृपाराम सक्सेना अपीलार्थी
चांपा

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

–:: आदेश ::–

(दिनांक 09/01/2024 को पारित)

अपीलार्थी श्री कृपाराम सक्सेना, चांपा ने यह अपील जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि, रायपुर के निर्णय दिनांक 12.10.2023 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) – प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :–

(I)	सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज ।	(1) उस नियम/कानून की जानकारी दिलाएँ जिसके तहत बार–बार वरिष्ठता सूची सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन पर अंतिम निर्णय देने में मानव संसाधन असमर्थ है। (2) उस नियम/कानून की जानकारी दिलाएँ, जिसके अंतर्गत वर्ष 2023 में परीक्षण सहायक एक से जूनियर सुपरवाईजर में जारी प्रमोशन लिस्ट में कृपाराम सक्सेना परी. सहा. एक का नाम लेख नहीं है। (3) स्मरण सह प्रार्थना पत्र क्रमांक पी/264 दिनांक 03.05.2023 में की गई कार्यवाही की जानकारी। (4) कार्यवाही प्रकियाधीन हो तो उस दस्तावेजों की छायाप्रति दिलाऍं जिसमें कार्यवाही प्रकियाधीन होने की जानकारी लेख है।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :–	लोक सूचना अधिकारी के ज्ञापन दिनांक 12.10.2023 में संलग्न दस्तावेज में से कौन सा दस्तावेज किस बिन्दु का लेख (स्पष्ट) नहीं है। जबकि जानकारी बिन्दुओं में देना होता है। अतः मूल आवेदन में लेख बिन्दुओं के आधार पर बिंदुवार जानकारी दिलाने का प्रार्थना है।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :–
		02.01.2024	जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुए किन्तु अपीलार्थी अनुपस्थित रहें। अतः प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।
(iv)	जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही तथा तर्क/कथन :–		तालिका 2 (I) में अपीलार्थी द्वारा वांछित बिन्दुवार जानकारी के संबंध में धारा 5(4)(5) के अनुसार संबंधित प्रभाग से सहायता ली गई। तत्संबंध में संबंधित प्रभाग द्वारा कुल 32 पृष्ठों में जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी गई है। अतः

			अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र कमांक 4834 दिनांक 20.09.2023 के माध्यम से (स्पीड पोस्ट) के द्वारा कुल 32 छाया पृष्ठों की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त किये जाने हेतु धारा 7(1) के अंतर्गत अभिलेख शुल्क कुल रूपये 64/-मात्र का भुगतान करने बाबत् सूचित किया गया। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित अभिलेख शुल्क का भुगतान मनीआर्डर के द्वारा किया गया। तद्पश्चात् अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 5357 दिनांक 12.10.2023 के माध्यम से कुल 32 छाया पृष्ठों की बिन्दुवार जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी गई है। उल्लेखनीय है कि धारा 5(4) के पालनार्थ संबंधित प्रभाग द्वारा कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जो बिन्दुवार जानकारी 32 पृष्ठों में उपलब्ध करायी गई है उसे यथास्थिति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। कार्यालयीन पत्र कमांक 5357 दिनांक 12.10.2023 में संलग्न पृष्ठ कमांक 29 में वांछित जानकारी का बिन्दुवार उल्लेख है। अतः अपीलार्थी का अपील कथन तर्कसंगत नहीं है।

(3) – प्रकरण में आये तथ्यों से प्रतीत होता है कि सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा तालिका 2 (1) में चाही गई बिन्दुवार जानकारी के संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा तालिका (IV) में जो कार्यवाही व तर्क दिया गया है वह विधिसंगत है।

सुनवाई के दौरान सम्पूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अतएव यह स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को नियमानुसार 32 छाया पृष्ठों की जो जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी गई है उसमें बिन्दुवार जानकारी/दस्तावेज समाहित है जिसका पृष्ठ कमांक 29 में उल्लेख है। अतएव अपीलार्थी उक्त दस्तावेज का पुनः अवलोकन करें। अतः अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन में दिये गये तर्क/कथन पूर्णतः निराधार है जो स्वीकार्य नहीं है।

उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा कर्तव्य का वहन किया गया है जो स्वीकार योग्य है। वस्तुतः जनसूचना अधिकारी का पक्ष एवं कृत कार्यवाही अधिनियम के अधीन होने के कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। अतएव तदनुसार दर्ज अपील समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

9.1.24

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक– 0771– 2574700

प्रतिलिपि :–(1) जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर।

(2) श्री कृपाराम सक्सेना, जगदल्ला चांपा, जिला –जांजगीर–चांपा (छ.ग.) ।

(3) कार्यपालक निदेशक (EITC) छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कृष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव, छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग, अटल नगर, नवा रायपुर